न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 106 / 2017

जीसीएमएस नम्बर : 2017 / 00468

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. पेमाराम पुत्र खीमाराम, जाति मेघवाल, निवासी खुण्डावास, तहसील रोहट जिला पाली।		1. कसुमी पत्नी शिवनाथ जाति मेघवाल निवासी खुण्डावास तहसील रोहट जिला पाली। 2. ग्राम पंचायत खुण्डावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खुण्डावास तहसील रोहट जिला पाली।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता मो. शरीफ काजी
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव

–: निर्णय :–

दिनांक : 21-10-20

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम खुण्डावास की मिसल संख्या ......, प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 21.01.2013 एवं इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 08 दिनांक 06.01.2014 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत खुण्डावास ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी विक्रय विलेख संख्या 8 जिसमें वर्णित पड़ौस की भूमि प्रार्थी के पूर्वजों की पैतृक भूमि है। रूपाराम, खीमाराम, भूराराम व शिवनाथ चार भाई है। उक्त पड़ौस की भूमि पर इनका व इनके वारिसो का मकान कब्जा व रहवास है। ग्राम पंचायत ने गलत पड़ौस अंकित कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जिस मकान का पट्टा जारी किया है, वह विधि विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया काबिल निरस्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जैर निगरानी विक्रय विलेख के संबंध में ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश नहीं किया तथा ग्राम पंचायत ने भी कोई मिसल कायम नहीं की, न ही आपत्ति इस्तिहार जारी किया, न ही किसी स्वतंत्र गवाह के बयान अंकित किए गए एवं न ही वार्ड पंचों की कनेठी का गठन कर मौका नक्शा बनावाया गया, मात्र अप्रार्थी संख्या 1 के शपथ पत्र के आधार पर पट्टा जारी किया गया है, उक्त शपथ पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 जिस भूखण्ड का उल्लेख कर रही है, उसके पड़ौस एवं क्षेत्रफल का अंकन नहीं है। इसके साथ ही प्रार्थी एवं उसके परिवारजनों को अप्रार्थी द्वारा उनके पुस्तैनी भूमि का पट्टा बनाने का पता चलने पर ग्राम पंचायत में लिखित आपत्ति पेश की, जि[illegible] ग्राम पंचायत द्वारा निस्तारण नहीं किया गया। जैर निगरानी विक्रय विलेख प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 21.01.2013 की पालना जारी किया गया है, जबकि प्रस्ताव संख्या 08 मुरलीधर के देहान्त हो ज[illegible] उनके फौतेदगी नामान्तरकरण भरे जाने से संबंधित है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:35:25 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय विलेख संख्या 08 जारी किया गया है, वह पूर्णतया फर्जी एवं मिलीभगत कर जारी किया गया है। जिसे खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त DNJ 1996(Raj.) Page no. 413, DNJ 2017(2) Raj. Page no. 668 and DNJ 2009(2) Raj. Page no. 1060 पेश किए।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष विक्रय विलेख जारी करने हेतु आवेदन पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गई थी तथा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए, अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय विलेख संख्या 08 जारी किया। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय में खाली मिसल पेश की है, इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 को जानकारी नहीं है। ग्राम पंचायत से मूल दस्तावेज गायब हो गए है या उनमें हेर–फेर हो गया तो इसमें अप्रार्थी संख्या 1 का दोष नहीं है, न ही उसको इस हेतु दण्डित किया जाना चाहिए। लेकिन इस संबंध में जांच करवाई जाती है एवं अगर जांच में अप्रार्थी संख्या 1 भी दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 में स्पष्ट रूप से अंकन है कि जिला कलक्टर के समक्ष कोई भी व्यक्ति निगरानी उसी समय प्रस्तुत कर सकता है, जब वह हितबद्ध पक्षकार हो। प्रार्थी जैर निगरानी विक्रय विलेख के संबंध में हितबद्ध पक्षकार नहीं है, क्योंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों ग्राम खुण्डावास के भिन्न–भिन्न वार्डो में निवास करते है तथा दोनों आपस में पड़ौसी नहीं है, न ही उनके मकान आस–पड़ौस में है। इस कारण प्रार्थी को न्यायालय में निगरानी पेश करने का अधिकार ही नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार फरमाई जावें। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त 2008 (2) DNJ Page no. 735 and 1999 DNJ Page no. 459 पेश किए।

विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आद्योपान्त परिशीलन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश नहीं किया, न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई मिसल कायम की गई, न ही राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 148 के तहत कोई आपत्ति इस्तिहार जारी किया गया तथा जिस प्रस्ताव संख्या 8 की पालना में पट्टा जारी किया गया है, उक्त प्रस्ताव में पट्टा जारी करने का उल्लेख ही नहीं है। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवं निहित विधिक बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत के रेकर्ड का परीक्षण किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी विक्रय विलेख के संबंध में मिसल कायम नहीं की गई है और जो मिसल न्यायालय में प्रेषित की गई है, वह रिक्त (BLANK) पत्रावली है। जिसमें न तो विक्रय विलेख के संबंध में कोई आवेदन है, न ही ग्राम पंचायत द्वारा नियम 148 के तहत आपत्ति इस्तिहार जारी किया गया है, न ही स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए गए है। जबकि ग्राम पंचायत की रिक्त मिसल के संलग्न प्रार्थी एवं अन्य की तरफ से पेश आपत्ति का भी निस्तारण नहीं किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व उक्त विक्रय विलेख के संबंध में जो आपत्तियां प्राप्त हुई है, उनका निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रस्ताव रजिस्टर में दिनांक 21.01.2013 के प्रस्ताव संख्या 8 के अवलोकन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:35:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर पाली

यह स्पष्ट है कि उक्त प्रस्ताव जैर निगरानी पट्टे से संबंधित नहीं होकर, किसी अन्य व्यक्ति के फौतेदगी नामान्तरकरण से संबंधित है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत " राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी। " इसके अनुसार इस न्यायालय को पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य एवं नियमितता के संबंध में जांच करनी है, लेकिन उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी विक्रय विलेख जारी करने में विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तथा उनकी प्रक्रिया में त्रुटी है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार नहीं है एवं उन्हें निगरानी न्यायालय में पेश करने का अधिकार ही नहीं है तथा अपने तथ्य की ताईद में उन्होंने पत्रावली संलग्न मतदाता सूची का हवाला देते कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 अलग–अलग वार्डो में निवासरत है। लेकिन मात्र मतदाता सूची में अंकित इंद्राज के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार नहीं है। जबकि अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि जैर निगरानी आराजी उनकी पुस्तैनी भूमि है तथा वे आपस में परिवारजन है। इस कारण जैर निगरानी पट्टे से प्रार्थी के हित प्रभावित होते है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि ग्राम पंचायत में रेकर्ड बदल दिया गया है, इस तथ्य की पुष्टि में उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जिससे यह साबित होता हो कि पंचायत स्तर पर रेकर्ड में हेर–फेर किया गया हो। यदि ऐसा हो तो इसके लिए उन्हें पृथक से सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए, हस्तगत निगरानी के तहत इस तथ्य हेतु अनुतोष नहीं दिया जा सकता है, न ही परीक्षण किया जा सकता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी विक्रय विलेख को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम खुण्डावास की मिसल संख्या ....., एवं इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 08 दिनांक 06.01.2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत खुण्डावास को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31-10-20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:35:25 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली